



कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति क्रमांक प-2()संस्था/अराज/2021/1300 दिनांक 27.05.2021 के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों में से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट के पदों हेतु आयोजित किये गये दस्तावेज सत्यापन में शामिल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, योग्यता, पंजीयन एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के उपरान्त निम्नानुसार अभ्यर्थियों का चयन/नियोजन कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट के पद पर 31.07.2021 तक के लिए किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि
1	डॉ० अंकुश शर्मा	श्री बनवारी लाल शर्मा	30.05.1996
2	डॉ० प्रिति कुमारी मीना	श्री हेमराज मीना	07.07.1997
3	डॉ० सत्यप्रकाश मीना	श्री तेजराम मीना	20.02.1995
4	डॉ० मुनेश कुमार मीना	श्री शान्ति लाल मीना	02.07.1991

उक्त चयनित अभ्यर्थियों को मासिक मानदेय 39300/-रु. प्रतिमाह देय होगा। उक्त चयनित अभ्यर्थी इस कार्यालय में दिनांक 30.07.2021 को सांयकाल 06.00 बजे तक अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे। नियत तिथि तक उपस्थित नहीं होने पर चयन निरस्त माना जावेगा।

(डॉ० दिनेश चन्द मीना)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
करौली
दिनांक 29/07/2021

क्रमांक : प-1()संस्था/राज/2021/1746
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, जनस्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
3. जिला कलक्टर, करौली।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं परिक्षेत्र भरतपुर।
5. संयुक्त निदेशक (एसीपी) डीओआईटीसी करौली को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को करौली जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 6.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
करौली

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली

कोविड हैल्थ सहायक के पद पर प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	मोबाईल नम्बर	परिवेदना साक्षिद विवरण	परिवेदना का निस्तारण
1	भूपेन्द्र कुमार शर्मा	श्री वेदप्रकाश शर्मा	9414144912	प्राप्तांकों में संशोधन कर दिया गया है परन्तु सामान्य वर्ग में चयन नहीं किया गया है।	अंतिम चयन सूची में चयन नियमानुसार किया जावेगा।
2	राधेश्याम मीना	श्री वलभद्र मीना	9024777602	प्राप्तांकों में संशोधन कर दिया गया है परन्तु परिवेदना को आंशिक स्वीकार किया गया है।	अंतिम चयन सूची में चयन नियमानुसार किया जावेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
करौली